

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या- पी0आर0-...../2025

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 (सत्र 2024-2026) में सम्मिलित होने के लिए छूटे हुए विद्यार्थियों के लिए-

- (i) ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन विलंब शुल्क के साथ भरे जाने हेतु दिनांक 28.08.2025 से 03.09.2025 तक अवधि निर्धारित करने,
- (ii) इस अवधि (28.08.2025 से 03.09.2025 तक) में जिन विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जायेगें, उनका घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक तथा शिक्षण संस्थान प्रधान के हस्ताक्षरोपरांत दिनांक 28.08.2025 से 08.09.2025 तक की अवधि में पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने एवं
- (iii) जिनका हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड निर्धारित अवधि दिनांक 28.08.2025 से 08.09.2025 तक में अपलोड नहीं किया जायेगा, उन्हें इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं तदनुसार उनका प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जायेगा, के संबंध में

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 322/2024, 343/2024, 357/2024, 369/2024, 386/2024 एवं 413/2024 के क्रम में सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 (सत्र 2024-2026) में सम्मिलित होने के लिए छात्र/छात्रा के ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन विलंब शुल्क के साथ समिति के वेबसाइट <http://seniorsecondary.biharboardonline.com> पर दिनांक 09.12.2024 तक भरने हेतु अवसर प्रदान किया गया था।

2. इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 (सत्र 2024-2026) में सम्मिलित होने हेतु सूचीकरण/अनुमति आवेदन से छूटे हुए छात्र/छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए उनके सूचीकरण/अनुमति आवेदन विलंब शुल्क के साथ भरने हेतु अंतिम अवसर के रूप में दिनांक 28.08.2025 से 03.09.2025 तक की अवधि निर्धारित की जाती है। इस अवधि में वैसे छात्र/छात्रा, जिनका सूचीकरण/अनुमति शुल्क पूर्व से जमा है, किन्तु उनका सूचीकरण/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सका है, उनका भी इस अवधि (दिनांक 28.08.2025 से 03.09.2025 तक) में सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरा जा सकता है।

3. ध्यातव्य हो कि इस निर्धारित अवधि (दिनांक 28.08.2025 से 03.09.2025 तक) में यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सूचीकरण/अनुमति आवेदन के लिए विलंब शुल्क सहित निर्धारित शुल्क मात्र दिनांक 28.08.2025 से 01.09.2025 तक की अवधि में ही जमा किये जायेंगे तथा जिन छात्र/छात्राओं का शुल्क इस अवधि में जमा किया गया है अथवा पूर्व से जमा है, उनका सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन दिनांक 28.08.2025 से 03.09.2025 तक की अवधि में कभी भी भरा जाएगा।

3.1 किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी छात्र/छात्रा का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन छूट जाता है, तो सूचीकरण/अनुमति आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 01.09.2025 के बाद अगले दो दिन अर्थात् दिनांक 03.09.2025 तक ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जा सकेगा।

3.2 इस तरह वर्णित इस व्यवस्था से शिक्षण संस्थान के प्रधान को शुल्क जमा किये गये छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने हेतु अतिरिक्त दो दिनों का अवसर मिलेगा।

4. ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा जितने छात्र/छात्राओं का सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क उनके द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। इस विस्तारित अवधि के तहत

निर्धारित शुल्क दिनांक 28.08.2025 से 01.09.2025 तक की अवधि में ही जमा किया जाएगा, इसके बाद शुल्क जमा नहीं होगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा :-

- 4.1 शुल्क जमा करने की प्रक्रिया :-** शिक्षण संस्थान के प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व से प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय का User Id एवं पासवर्ड के माध्यम से समिति के वेबसाइट—<http://seniorsecondary.biharboardonline.com> के लिंक पर Click here for Academic year 2024-26 पर क्लिक करेंगे। सूचीकरण शुल्क भुगतान के लिए "Make Payment" पर क्लिक करेंगे, जो वेबसाइट के होम पेज पर बायें भाग में उपलब्ध रहेगा। सूचीकरण/अनुमति शुल्क का भुगतान निम्नांकित माध्यम से किया जा सकता है :-
- 4.2 ई-चालान से नगद भुगतान :-** सूचीकरण शुल्क ई-चालान के माध्यम से Axis Bank /Indian Bank के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रधान ई-चालान से भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में भुगतान सीधे समिति के खाते में नहीं कर ई-चालान में अंकित बैंक खाता में ही हो। ई-चालान पर कोई भी Account No. लिखकर भुगतान न करें, यह अमान्य है। समिति द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस तरह से भुगतान किये गये शुल्क की जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। प्रत्येक चालान का अलग-अलग भुगतान आवश्यक है। किसी भी स्थिति में कई चालान में अंकित राशि का भुगतान एक चालान से नहीं किया जाय।
- 4.3 NEFT के माध्यम से भुगतान :-** शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT पर अंकित खाता संख्या IFSC Code एवं Total Amount के संबंध में भुगतान करने से पहले अवश्य जाँच कर लेंगे। Total Amount से कम या अधिक राशि होने पर NEFT की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायेगी और राशि वापस उसी खाते में लौट जायेगी।
- NEFT का भुगतान कभी भी कई Payment Advice को मिलाकर एक बार में न करें।
 - जिस बैंक खाते से NEFT में शुल्क का भुगतान कर रहे हों उस बैंक का NEFT का निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा। NEFT से भुगतान के लिए Payment Advice में अंकित राशि को उसमें अंकित Account No. में जमा कराना अनिवार्य है।
 - यदि NEFT से किया गया भुगतान पुनः उसी खाते में वापस आ जाता है, तो वह राशि उसी NEFT करने वाले बैंक के Suspense Account में जमा हो जाती है। अतः शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT से राशि भुगतान करने के 24 घंटे के उपरान्त उस बैंक से अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा किया गया भुगतान सफल हो गया है।
 - यदि पहली बार किसी बैंक के Account से NEFT से भुगतान किया जा रहा हो, तो उस बैंक में अपने Account का CIF नंबर (स्पेशल कैरेक्टर रहित) जिसमें स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो उस स्पेशल कैरेक्टर को हटाना आवश्यक होगा, तभी NEFT से भुगतान किया जा सकेगा। इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी अपने बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
 - NEFT से मात्र Payment Advice पर अंकित A/c No. पर ही भुगतान करेंगे। किसी अन्य A/c No. पर किये गये भुगतान मान्य नहीं होगा।
 - ऑनलाइन भुगतान Credit Card/Debit Card/Net Banking के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- 5. ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने हेतु विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है:-**

मद		निर्धारित शुल्क	विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क
सूचीकरण आवेदन शुल्क (सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के लिए)		60/-	60/-
ऑनलाइन शुल्क रु० 55/- (पचपन) में से रु० 30/- (तीस) शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने तथा उन्हें डभी/मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा।		55/-	55/-
नियमित कोटि एवं व्यावसायिक	(i)	सूचीकरण शुल्क	400/-
			550/-

पाठ्यक्रम के लिए	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	200 /—	350 /—
स्वतंत्र कोटि के लिए	(i)	सूचीकरण शुल्क	400 /—	550 /—
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	200 /—	350 /—
	(iii)	अनुमति शुल्क	400 /—	550 /—
नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			515 /—	665 /—
स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			915 /—	1215 /—
इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 ^{वाँ} उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10 ^{वाँ} उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।				
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			715 /—	1015 /—
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			1115 /—	1565 /—

6. सूचीकरण/अनुमति आवेदन हेतु समिति के पोर्टल पर दो अलग-अलग प्रकार के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किए गए हैं :-

(i) नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B' है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 16 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड 'B' में क्रमांक 17 से 33 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

(ii) स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।

7 सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरने हेतु विगत अवधि में यह पाया गया है कि कतिपय शिक्षण संस्थान के द्वारा जितने परीक्षार्थियों का निर्धारित शुल्क जमा किया गया, उतने परीक्षार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन नहीं भरे गए। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित अवधि तक जमा किए गए शुल्क के अनुरूप सूचीकरण/अनुमति आवेदन निश्चित रूप से भरे जायें। साथ ही इस अवधि में विलंब शुल्क के साथ सूचीकरण/अनुमति शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त किसी छात्र/छात्रा का सूचीकरण/अनुमति आवेदन नहीं भरा जाता है, तो निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा इससे बाद में उत्पन्न किसी समस्या के लिए शिक्षण संस्थान के प्रधान स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8 स्पष्ट किया जाता है कि सूचीकरण आवेदन भरने एवं इसमें अंकित विवरणों के अनुसार ही छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन भरा जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने में पूरी सतर्कता बरती जाय ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े। शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि नियम संगत एवं वैध अभ्यर्थित्व वाले छात्र/छात्राओं का ही सूचीकरण/अनुमति आवेदन विधिवत् हो और इसमें किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि नहीं होने पाये। बाद में किसी भी तरह के संशोधन/परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

9. (i) विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र/छात्राओं का निर्धारित शुल्क जमा करते हुए सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरा जायेगा।

(ii) जिस अवधि के लिए यह सूचीकरण/अनुमति आवेदन प्राप्त किया जा रहा है, उसमें जिन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द है अथवा मान्यता/संबद्धता वापस ले ली गयी थी/है तथा जो निलंबित थे/हैं, उन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा सूचीकरण/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जायेगा।

10. राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुआ है किन्तु छात्र/छात्राओं के नामांकन का अपडेशन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जाएगा।

11. सूचीकरण/अनुमति आवेदन प्रपत्र के कॉलम-17 में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को आधार कार्ड/नंबर आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आशय की घोषणा कॉलम-18 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस विषय में कॉलम-17 एवं 18 में स्पष्ट निदेश अंकित है।

12. सत्र 2022-24 से राज्य के सभी जिलों के कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड यथा-सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), ऑटोमोबाइल (Automobile), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०/आई०टीज० (IT/ITes) ट्रेड के पठन पाठन की शुरुआत की गयी है, जिनकी सूची समिति के पोर्टल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। व्यावसायिक ट्रेड का पठन पाठन अनिवार्य (Compulsory), ऐच्छिक (Elective) एवं अतिरिक्त (Additional) विषय संरचना के अलावे होगा।

12.1 वैसे चिन्हित +2 विद्यालयों जिन्हें व्यावसायिक ट्रेड आवंटित किया गया है, के 25 विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त ट्रेड समूह में से किसी एक ट्रेड का चयन किया जाना एवं उसकी परीक्षा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि कि, इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी तथा इसे किसी अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित (Interchange/swap) नहीं किया जाएगा।

13. छात्र/छात्रा के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में :-

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, सत्र-2024-26 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि जिन छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, उस पर संबंधित छात्र/छात्रा के फोटो का साईज एवं प्रकार निम्नवत् रहना अनिवार्य है :-

(i) फोटो का साईज एवं प्रकार :-

Image Size : 35mm x 30mm का हो।
(40-100kb के बीच jpg/jpeg फॉरमेट में हो)।
Head Size/Face Size : 25mm X 20 mm
Background : Plain White or Light Green

(ii) स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm. width X 1cm. height) में हो तथा आकार 5-20kb से अधिक न हो।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि स्कैन किया गया फोटो उपर्युक्त साईज से भिन्न रहने पर समिति के वेबसाइट पर उनका सूचीकरण आवेदन ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सकेगा।

14. सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि अपने शिक्षण संस्थान के अर्हता प्राप्त छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की सतर्कतापूर्वक जाँच करने के उपरांत ही अपनी निगरानी एवं देख-रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इसकी एक प्रति भी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे ताकि किसी भी तरह के त्रुटि के सुधार की स्थिति में इसकी सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध करायी जा सके। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सूचीकरण प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

15. अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 (सत्र 2024-2026) के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरवाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

16. यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 (सत्र 2024-2026) में सम्मिलित होने के लिए छूटे हुए विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 28.08.2025 से

03.09.2025 तक की अवधि अंतिम अवसर के रूप में निर्धारित की गई है। इस अवधि के तहत +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान द्वारा सूचीकरण/अनुमति आवेदन के लिए विलंब शुल्क सहित निर्धारित शुल्क मात्र दिनांक 28.08.2025 से 01.09.2025 तक की अवधि में ही जमा किये जायेंगे। +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा कर दिया जायेगा, उनका ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन दिनांक 28.08.2025 से 03.09.2025 तक की अवधि में कभी भी भरा जा सकेगा।

17. इस तरह शुल्क जमा करने की तिथि 28.08.2025 से 01.09.2025 तक की अवधि में शुल्क (विलंब शुल्क के साथ) जमा करते हुए ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भी भरा जायेगा। साथ ही शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 01.09.2025 के बाद भी जिन छात्र/छात्राओं का शुल्क जमा रहेगा, उनका सूचीकरण/अनुमति आवेदन अगले दो दिनों तक अर्थात् दिनांक 03.09.2025 तक भरा जा सकेगा।

18. निर्धारित शुल्क जमा करते हुए सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 322/2024 के अनुरूप रहेगी।

19. घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड डाउनलोड, परिलक्षित त्रुटि का सुधार एवं हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में

19.1 इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 (सत्र 2024-2026) में सम्मिलित होने के लिए छूटे हुए विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन निर्धारित अवधि (दिनांक 28.08.2025 से 03.09.2025 तक) में भरे जायेंगे, उनका घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक तथा शिक्षण संस्थान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 28.08.2025 से 08.09.2025 तक अवधि में पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

19.2 जिन विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन निर्धारित अवधि (दिनांक 28.08.2025 से 03.09.2025 तक) में भरा जायेगा, उसी समय उनका घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड रहेगा, जिसे +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान द्वारा डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।

19.3 डाउनलोड घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड में अंकित विवरणी का मिलान +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक द्वारा किया जायेगा। घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहने पर विद्यार्थी व उनके माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरोपरान्त शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा भी अपना हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कर इसे समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

19.4 यदि डाउनलोड घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पायी जाती है, तो उसका ऑनलाइन सुधार दिनांक 28.08.2025 से 08.09.2025 तक की अवधि में शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किया जायेगा। ऑनलाइन सुधार के बाद पुनः परिशुद्ध विवरणी सहित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड डाउनलोड किया जायेगा तथा इस पर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर दिनांक 28.08.2025 से 08.09.2025 तक की अवधि में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

19.5 यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जायेंगे, किन्तु हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड अपलोड नहीं किया जायेगा, तो उन्हें इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं तदनुसार उनका प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जायेगा। इस तरह एक वर्ष व्यर्थ चला जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित विद्यार्थी एवं +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान की होगी।

19.6 घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड डाउनलोड करने, इसमें परिलक्षित त्रुटि/विसंगति के ऑनलाइन सुधार करने एवं परिशुद्ध विवरणी सहित विद्यार्थी व उनके माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ-साथ +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान द्वारा भी अपना हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कर समिति के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या— पी0आर0 148/25, 167/25 एवं 181/25 के अनुरूप रहेगी।

20. छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, शिक्षण संस्थान प्रधान एवं अन्य संबंधितों को वांछित जानकारी इस अवधि में उपलब्ध कराने के लिए समिति द्वारा Android Mobile App का प्रावधान किया गया है, जिसे निम्नांकित प्रक्रिया के तहत डाउनलोड कर अपने Android Mobile में Install कर सकते हैं:-

(i) Google Play Store पर जाएँ।

(ii) "BSEB Information App" को Search करें तथा Download कर Install करें।

(iii) Mobile App Open कर Home Page पर जाकर उपलब्ध लिंक <http://ssonline.biharboardonline.com> पर क्लिक करें।

(iv) App पर माँगे गए विवरण को भरें, तत्पश्चात Dummy Registration Card डाउनलोड करें।

21. ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने, शुल्क जमा करने एवं हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड पोर्टल पर अपलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं०-0612-2230039 अथवा E-mail Id: reg.bsebhlpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।